भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3047

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पीएटी के अंतर्गत पंजीकृत नामित उपभोक्ता

†3047. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोल्हापुर जिले में प्रदर्शन-प्राप्ति-प्रचालन (पीएटी) योजना के अंतर्गत पंजीकृत नामित उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या हातकणंगले में किसी चीनी मिल या वस्त्र इकाई ने ऊर्जा दक्षता प्रमाणपत्र (ईएससीईआरटी) अर्जित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रमाणपत्रों को बेचने के लिए उपलब्ध व्यापारिक मंच का ब्यौरा क्या है और उसके बाजार में प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पीएटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऊर्जा-दक्ष पद्धतियाँ अपनाने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कोल्हापुर जिले से तीन (03) नामित उपभोक्ता (डीसी) अधिसूचित हैं।

(ख) : हातकणंगले में पीएटी स्कीम के अंतर्गत कोई चीनी मिल या कपड़ा यूनिट अधिसूचित नहीं है।

(ग) : इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज नामक तीन व्यापार प्लेटफॉर्म ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) बेचने के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) : पीएटी स्कीम के अंतर्गत, एमएसएमई सहित किसी भी श्रेणी की संस्थाओं को ऊर्जा दक्ष पद्धतियों को अपनाने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है।

****